UPRN12-001453-2020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात।

मुकदमा संख्या- 889/ 2020

सरकार----------- बनाम---------- **महेन्द्र आदि।**

अ०सं०- 585/ 2019

धारा- 13 जुआ अधिनियम

थाना- भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात।

11- 03- 2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। कोई उपस्थित नही है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भेजे गये गिरफ्तारी अधिपत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की आख्या थाना हाजा से प्राप्त है। समर्थन में अभियुक्त की मृत्यु के बाबत ग्राम पंचायत डीघ, वि०ख० मलासा, कानपुर देहात की तहरीर पत्रावली में संलग्न है, जिसमें अभियुक्त कपिल की मृत्यु लगभग 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिसके समर्थन में पैरोकार C127 मनीष कुमार थाना भोगनीपुर, कानपुर देहात का बयान अंकित किया गया है। न्यायालय द्वारा जारी प्रोसेस का तामीला कां० यतेन्द्र सिंह द्वारा कराया गया है। गैर जमानतीय वारण्ट मय ग्राम पंचायत डीघ, वि०ख० मलासा, कानपुर देहात की तहरीर न्यायालय में प्राप्त हुई है। थाने से प्राप्त आख्या के प्रकाश में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद उपरोक्त में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है। तदानुसार उक्त वाद निस्तारित किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त अजीत व कपिल के विरूद्ध मुकदमा अवेट किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील गुप्ता)

सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,

भोगनीपुर, कानपुर देहात।

I. D. No. UP3805

Digitally signed by SUNIL GUPTA
Date: 2026.03.11 15:20:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court